कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

बुधवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1947

(13 अगस्त, 2025 ई0)

खण्ड-529

अंक-03

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2025) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सतर्कता अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में माननीय लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2022 (खण्ड-1 पृष्ठ-1 से 265), (खण्ड-2 पृष्ठ-266 से 559), (खण्ड-3 पृष्ठ-560 से 729) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) तथा माननीय लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2023 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2020-2021 का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 की उपधारा (5) (क) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-79/ग्यारह-2-25-9(47) 17-टी0 सी0-275-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (337)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-80/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0 सी0-276-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (338)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-81/ग्यारह -2-25-9(47)-17-टी0सी0-274-उ0प्र0 अधि0-2017-आदेश(339)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-82/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-273-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(340)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-83/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-277-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(341)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-84/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-278-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(342)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-85/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-279-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(343)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-86/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-280-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(344)-2025, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-298/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-281-उ0प्र0अधि0-2017-1-आदेश(345)-2025, दिनांक 28 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-70/ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-71-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (336)-2025, दिनांक 24 मार्च, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-331/ग्यारह-2-25-9 (47)-17-टी0सी0-282-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (346)-2025, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-520/ग्यारह-2-25-9(47)-17-टी0सी0-283-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(347)-2025, दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-330/ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-72-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (348)-2025, दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-623/ग्यारह-2-25-9 (42)-17-टी0सी0-73-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (349)-2025, दिनांक 21 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017 की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने छठा राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की अन्तरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लिये) व उस पर राज्य सरकार के कार्यवाही ज्ञापन (एक्शन टेकन रिपोर्ट) को संविधान के अनुच्छेद-243 (झ) (4) व 243 (म) (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

वित्त मंत्री ने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4 (निष्पादन लेखा परीक्षा) महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा-2 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा एवं महालेखाकार द्वारा सम्पादित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 को उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा-5 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 2025 को उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा-41 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का तीसवाँ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1 में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का इकतीसवाँ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-05 में उल्लिखित आबकारी विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2024-2025) का बत्तीसवाँ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-6 में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष 2024-25 का 25वां प्रतिवेदन, जो समिति वर्ष 2022-23 एवं 2024-25 में राजस्व विभाग से सम्बन्धित शिकायती-पत्रों के निस्तारण पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

श्री रामखिलाड़ी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र-111, गुन्नौर के अन्तर्गत मझौला से नगलाचतुर्भानपुर होते हुए भकरौली तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा की तहसील बांदा के अन्तर्गत ग्राम लुकतरा में स्थित याची के भूमि रिकार्ड में नाम संशोधन कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीता रजक पत्नी कमल कुमार, निवासिनी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया, गौरा पाण्डेय, परसा तिवारी, घारीघाट, अल्लीपुर, गिन्नीनगर मार्ग के अवशेश भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमेठी के ब्लॉक जगदीशपुर के ग्राम सभा नौडाढ़ एवं ग्राम पंचायत आदिलपुर के मध्य काढ़ू नाले पर पुल/पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका व्यपगत हुई ।

डॉ0 विमलेश पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कौड़ीराम के अन्तर्गत बांसगांव-कौड़ीराम-गोला बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत स्थित तिरगांवा सकलडीहा राजवाहा की पटरी डेनापुर से रैपुरा पक्की सड़क तक अधूरा सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक यादव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम बेरा पम्प कैनाल का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के विकास खण्ड पनियरा के अन्तर्गत रोहिन नदी के बन्धे पर लक्ष्मीपुर से लाला बड़हरा तक सिंचाई विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परशुराम निषाद व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम सबली खेड़ा के समीप गंगा एक्सप्रेस-वे के चैनेज न0-376 व 378 पर लूप लोकेशन में क्षेत्रवासियों के लिये उतार-चढ़ाव बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद एटा के विकास खण्ड अलीगंज के थाना नयागांव अन्तर्गत स्वीकृत पुलिस चौकी उभई असदनगर की स्थापना हेतु धनावंटित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में बस स्टैण्ड से घुसयाना मोहल्ला होते हुए, पिसनारी तिराहा राजघाट सम्पर्क मार्ग पर बने सेतु का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तेजपाल सिंह नागर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से ग्रेटर नोएडा के अन्तर्गत वैदपुरा-बादलपुर तथा इस्टर्न फेरिफेर बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र नागर व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री नन्द किशोर गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत लोनी में केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन नागर व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत जिगना (तदुई) विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में बने आई0टी0आई0 का शुभारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मोहम्मदी को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

ठा0 रामवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड कुन्दरकी के ग्राम पंचायत जैतिया फिरोजपुर एवं विकास खण्ड मूंडापाण्डेय के ग्राम पंचायत जैतिया सादुल्लापुर के मध्य गागन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी के विकास खण्ड सिकरारा के ग्राम चांदपुर में 33/11 के0वी0 का अर्द्धनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम पंचायत टी0टी0 अब्दालपुर में यू0एफ0ए0 सुजनीपुर मार्ग किमी0-1 से दायें दूधनाथ हरिजन के घर से मनीराम पटेल के बोरिंग तथा नहर के पास से होते हुए छत्रपाल यादव के मशीन के पास नाला तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबहादुर मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत के0डी0ए0 द्वारा लोहा के नगर व्यापारियों के भू-खण्डों का अनुनिर्माण शुल्क की मांग निरस्त कर भू-खण्डों के मानचित्र स्वीकृति एवं विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह, निवासी जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा में नगर पंचायत कुलपहाड़ का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वैभव अरजरिया व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम रमापुर उत्तरी में राजकीय हाई स्कूल व विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम बौरी में राजकीय हाई स्कूल के भवन शिक्षा विभाग को हैण्डओवर हो जाने के उपरान्त कक्षाएं संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विमलेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में इण्डस्ट्रियल फीडर की स्थापना के सम्बन्ध में श्री गोविन्द बाबू व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के मौहल्ला स्वामी नगर में तहसीलदार के मकान से रामगोपाल के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामगोपाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती के ग्राम सोनू पार कैली मुख्य मार्ग से जगदीशपुर गांव तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम वचन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत टाउन एरिया शंकरगढ़ का सीमांकन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री (डॉ0) विनोद त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड प्रतापपुर के अन्तर्गत जन-सेवा इण्टर कॉलेज, ग्राम मोहिउद्दीनपुर पक्की सड़क से प्रबन्धक के मकान तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय करनैलगंज में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड नगर की कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत कल्याण कोष के अन्तर्गत मरणोपरान्त आर्थिक सहायता हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फिरोज अहमद, निवासी जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुबारी में श्री कामता सिंह पटेल के घर से श्री पंकज मिश्रा के घर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामता पटेल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नुकड़-02, क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हुसैनपुर में तालाब की दीवार निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम मूर्ति वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के एन0टी0पी0सी0 द्वारा पी0ए0सी0 ठेकेदार को कार्य न मिलने के सम्बन्ध में श्री हौसिला प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के ग्राम जहांगीरागंज के ग्राम अहिरौली रानी मऊ में रामतीरथ के घर से शिव नरायन गौतम के घर तक खड़न्जा मार्ग का सी0सी0 नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सहलाद गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड नूरपुर के ग्राम रसूलपुर एवं फजलपुर ढाकी को जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी ब्रजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दिनेश रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत सुबेहा में बाईपास का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ऋषि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महराजगंज की विधान सभा क्षेत्र नौतनवा के लक्ष्मीपुर ब्लाक स्थित ब्रिटिश कालीन ट्राम-वे परियोजना को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कराने के सम्बन्ध में श्री दुर्गाशंकर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका व्यपगत हुई ।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के तहसील सहावर के अन्तर्गत तारापुर से अलादिनपुर मार्ग का पुनर्निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवंत व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम निवास वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत नानपारा नगर में 100 बेड के आधुनिक अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ग्राम मिर्जापुर में कोटवा सिद्धौर तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में स्थापित एन0टी0पी0सी0 में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा में अतरसण्ड बंधवा तालाब से परैया नाला तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के ग्राम बडकली में ट्यूबवेल नम्बर-01 से ग्राम रूहासा में इन्द्रपाल के खेत तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 विजय राठी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या के तहसील सोहावल के विकास खण्ड मसौधा के ग्राम पंचायत अबनपुर सरोहा में जमूरतगंज हरनरायनपुर मार्ग से उसरहवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल पाराशर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के क्वारसी चौराहे से एटा चुंगी चौराहे तक की सड़क को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम करझन से ग्राम गोहरामऊ तक के डामर रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री करन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड सदर के रौजा-ताड़ीघाट पुल मार्ग रजागंज पुलिस चौकी से श्मशान घाट तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के मांट तहसील के तत्कालीन तहसीलदार पवन कुमार के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र पश्चिम के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज द्वितीय वार्ड के आदर्श विहार में मोहित यादव के घर से रामा के प्लाट तक सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ सठियांव बाजार में जल निकासी हेतु रेलवे स्टेशन से चौराहा होते हुए उत्तर तरफ नाले तक कवर्ड नाला बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री देवकरन यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के चक्रपानपुर-डोहा मार्ग से ग्राम पंचायत खुदवल तक अति जर्जर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम बुन्टा में सरकारी स्कूल से ग्राम हथछोया राजवाहे के पुल तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फरीद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत पशु अस्पताल, बीबीगंज का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत ग्राम रायपुर में संजय यादव के घर से ठाकुर यादव व रामप्रवेश के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहम्मद ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक दुबेपुर के हसनपुर ग्राम सभा के अन्तर्गत वाराणसी-लखनऊ मार्ग से दलित बस्ती होते हुए डाकखाना-कुडवांर मार्ग (लगभग 02 किलोमीटर) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के वार्ड हैदरगंज 03 के अन्तर्गत मोहल्ला मुन्नूखेड़ा (कुल्लहरकट्टा), सदरौना रोड के प्राथमिक विद्यालय धनहरखेड़ा के सामने से श्रीमती नीता तिवारी पत्नी कृष्ण कुमार के घर तक नाली व सी0सी0 मार्ग बनाए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नीता तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुधाकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र-354, घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा कल्याणपुर एन0एच0-29 सहकारी समिति खाद गोदाम से नियर धोबी टोला होते हुए कामता राजभर के मकान से कतवारू राजभर के घर तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका व्यपगत हुई ।

श्री अरविन्द कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-136, ददरौल के अन्तर्गत ग्राम शाहबाजपुर, गुर्रा भमौली, चौहानपुर आदि में बाढ़ की रोकथाम हेतु पक्के तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवानदीन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम खड़बा में गाटा संख्या-940 में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष राव ''सिनू'' व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के नगर निगम जोन-01 के अन्तर्गत जगदीश चन्द्र बोस वार्ड, मोहल्ला बर्लिंगटन कम्पाउण्ड, निकट मेडवेल हास्पिटल कैन्ट रोड में नई सीवर पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के ब्लॉक डीह के अन्तर्गत ग्राम सभा गोपालपुर स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक जाने वाले मार्ग को पक्का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चंदीपुर एवं ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के सी0एच0सी0 सिकन्द्राराऊ में स्थित ट्रामा सेन्टर में डाक्टर की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन पुण्डीर व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की तहसील बक्शी का तालाब के ग्राम भिटौलीखुर्द में रामलखन पुत्र स्व0 बुद्धा की जमीन पर अमजद अली व आबिद अली द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामलखन पुत्र स्व0 बुद्धा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र के डाला नगर में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विकास खण्ड हसनपुर के ग्राम अल्लीपुर खादर में 33 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री भोज राम सिंह खड़गवंशी व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लॉक जगनेर की ग्राम पंचायत रिछोहा के मजरा तुर्कपुरा में पक्का नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड धनौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल भड़ाना व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के वार्ड-8 मसवानपुर स्थित नकटी तालाब पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक बलियाखेडी के अन्तर्गत ग्राम बेहेडेकी व ब्लॉक रामपुर मनिहारान के अन्तर्गत ग्राम कुराली एवं टपरी में सिंचाई विभाग द्वारा रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंशुल शर्मा पुत्र गुरूदक शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में जल निकासी हेतु स्टॉर्म वाटर योजना के अन्तर्गत पक्का गहरा नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ए0के0 त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के अरनिया ब्लॉक के गाँव हमीरपुर में मेन सड़क से अमित राजौरा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश राघव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीरेन्द चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज की तहसील व ब्लॉक फरेन्दा में ग्राम बरातगाड़ा में रामनगर से बरातगाड़ा मन्दिर मुख्य सम्पर्क मार्ग के बीच पड़ने वाले वन विभाग की जमीन पर कच्चे रास्ते को पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के ग्राम सिसवारा में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के अन्तर्गत एन0एच0-31 से ग्राम सभा सोहाव से रामापुर होते हुए शिवपुर तक मार्ग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बृजेश यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र-113, सहसवान के ग्राम उस्मानपुर से सलामतपुर मजरा भोमस की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश यादव, निवासी जनपद बदायूँ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहम्मद हसन ‘रूमी’, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के वार्ड संख्या-99, सुजातगंज क्रासिंग से छप्पन भोग चौराहे तक की रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 नफीस व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में ग्राम सभा हडवार में पुल/पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड बढ़पुर में स्थित ग्राम सभा खरबन्दी नगला बजीर के मजरा नगला बजीर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम शाक्य व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू पावर हाउस के अन्तर्गत एक 400 के0वी0ए0 का ट्राली ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू पटेल व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी एवं जिला मुख्यालय मुरादाबाद के समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं को चैम्बर बनाने के सम्बन्ध में श्री मुहम्मद उस्मान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर की ग्राम पंचायत रार में जयबाला जी महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से होम टेक राशन लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत धोबहा चौराहा से मैनहवां गाँव तक के मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बहरैची प्रेमी जी व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम बड़िया में मालन नदी पर कार सेवा से बने क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दमन प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 अजय कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बागपत के विकास खण्ड छपरौली के ग्राम असारा से एलम राजवाहा तक पक्की सड़क (डामरीकरण) लं0 लगभग 1.600 किमी0 का नव निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी इमरान व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत दुबौली कांटेखैरा होते हुए शेखापुर मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के मड़ियांहू-मछलीशहर मार्ग जमालपुर रामनगर से चकइंग्लिस ग्राम सभा पौहा होते हुए नहर तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यभान व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लॉक अछनेरा के ग्राम रायभा के छोटी पार्टी में कोली बस्ती में बारात घर के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर लाल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम अतरैया एवं अतरैया डेरा के मध्य स्थित मार्ग में एक पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगल निषाद व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड कूरेभार के ग्राम पंचायत फूलपुर के शिव मन्दिर के बगल फूलपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच में नगर क्षेत्र के अन्तर्गत झिनगहा घाट में गन्दे नाले का पानी जाने से रोकने एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री अखिलेश श्रीवास्तव निवासी जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गुड़िया देवी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद औरैया के अन्तर्गत ग्राम अस्ता में नागरिकों हेतु आवासीय इमारत (क्षमता 1000 नागरिक) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत ग्राम नरायनपुरा से ग्राम केथ होते हुए ग्राम देवरी तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में ग्राम दुलखरा से खदाना तक लं0 2 किमी0 का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित चौधरी प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम उपैडा में गऊशाला से नये हाई-वे तक मार्ग लगभग 1.5 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के पाठकपुरम् गली न0–10 रायबरेली रोड में सड़क तथा नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र नाथ तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत नगर पंचायत इकलिद में छोटी फुफई बाईपास एवं बड़ी फुफई एवं मोहल्ला कुम्हरान में अत्यधिक जलभराव की समस्या से निदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक गोयल व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र दिलेर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ ब्लॉक टप्पल के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा प्रस्तावित अर्बन सेन्टर एवं लॉजिस्टिक पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण एवं अधिग्रहण प्रक्रिया में विलम्ब के सम्बन्ध में श्री प्रवीन पांचाल व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ में अर्जुनगंज, सुल्तानपुर रोड पर स्थित ग्रीन सिटी कॉलोनी में सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली में विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा गौरी में राम इकबाल सिंह के मकान से मेन रोड से होते हुए गंगा राम के बगीचे तक रिटनिंगवाल सहित इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजीव शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत क्रिश्चियन नगर बागू (लाल क्वाटर) में बने जर्जर सामुदायिक केन्द्र को मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द नागर व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत ब्लॉक मदनपुर में आटेपुर बम्बा से बगिया के पीछे होते हुए दौलतपुर आश्रम तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती की तहसील हरैया विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड गौर के सेमरा में आमा रवाईपार सम्पर्क मार्ग से पिन्टू सिंह के घर तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विनय प्रकाश गोंड, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के अन्तर्गत उपकेन्द्र कप्तानगंज ओवरलोड होने के कारण ग्राम सभा बोदरवार में नया विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र-121, नवाबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड भदपुरा के ग्राम पनवडिया परतीपुर से कनाकोर सम्पर्क मार्ग तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत नोएडा के गांवों में सीवर ओवरफ्लो होने की समस्या को दूर करने के लिये बड़ी सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में श्री सतपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू'', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलग्राम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर के ग्राम बूडपुर नैनसिंह से ग्राम हुसैनपुर सुल्तान तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड सिधौली के ग्राम कोटाबारी में गाँव के दक्षिण डामर रोड से नहर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण (01 किमी0) का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद में ग्राम अजनपुर इदौती में इदौती से जोत तक नाला सफाई का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के ग्राम आलमपुर मोड़ से लिसडी ग्राम तक कच्ची सड़क और ग्राम सब्दलपुर से त्रिलोकपुर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अफसर खान व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के अन्तर्गत हरचन्दपुर-महाराजगंज सम्पर्क मार्ग से डिहवा तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद के ग्राम गढ़ी गुमानी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ की मधवापुर दुबग्गा में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के पास स्थित शराब की दुकान को बन्द या अन्यत्र दूर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनमोहन व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड एका से होकर निकलने वाली तीन बड़ी नहरों के पुलों पर घाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयपाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलीलपुर के अन्तर्गत चांदपुर अम्हेडा मार्ग से अज्जू नंगली को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री किरत सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ग्राम सालियर ब्लॉक गंगोह में आबादी भाग में राजवाहे की बाउण्ड्रीवाल एवं पटरी पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रभानु पासवान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या की विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत पुरावली सम्पर्क मार्ग से जिगनाही गांव सम्पर्क मार्ग व बकचूना प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से भखौली सीमा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गुरू प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के मनसइता गोड़वा स्थित विद्युत सब-स्टेशन को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र गिरी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जसनावली कलां में शिव मंदिर से दादा मंदिर की तरफ के रास्ता का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजमणि कोल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा लालतार से पाल पट्टी बिसौरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री शशिकान्त तिवारी, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के अन्तर्गत ग्राम सभा पनासा से लटकहा मार्ग पर जल भराव को रोकने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत पटनवा पुल घाट पर इलेक्ट्रानिक शवदाह गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा उण्डमपानपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामधर मौर्या निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मेजर पुष्पेन्द्र नगर रायबरेली रोड शैलेष सिंह चौहान के घर से राजेश सिंह चौहान के घर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जौनपुर के बदलापुर ग्रामीण तहसील पर अतिभारित 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेंद्र पर एक अतिरिक्त 5 एम0वी0ए0 पावर परिवर्तक लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री शनि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अताउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम न्योली से न्योला को जोड़ने वाले मार्ग पर धोरा नदी पर लघु सेतु पहुँच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के वार्ड संख्या-11 में श्री रामबाबू चौरसिया की दुकान से श्री राजेन्द्र कुमार धूसिया के घर से होते हुए श्री प्रदीप गुप्ता के घर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किरन धूसिया व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा के विकास खण्ड महुआ के छिबांव, मकरी, नाई व कतिपय ग्रामों में नलकूप का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजर्षि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर कासगंज के अन्तर्गत ग्राम सिरोली से जू0हा0 स्कूल सिरोली तक नवीन सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुहेब उर्फ मन्नु अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल के तर्ज पर जनपद मऊ के गाढ़ा ताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निसार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के ग्राम अहलादे के पास से अहलादे गांव तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिमांशु यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत कटसहरा नहर पुलिया से गोरेडीह होते हुए बनकटवा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के ग्राम पंचायत निहालपुर नरहरपुर एवं लगलेसरा में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनुराग सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के वृन्दावन कालोनी के सेक्टर-6 में पार्क नं0-5 के पास से लेकर मकान संख्या-748 तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीता रजक, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशुतोष शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के ग्राम दुबेपुर को जनसंख्या के आधार पर नई ग्राम सभा के रूप में गठित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब के ग्राम तकरोही, इन्दिरा नगर में स्थित कॉलोनी कृष्णा विहार वेलफेयर सोसायटी के अन्तर्गत शर्मिला जौहरी के मकान से मुख्य मार्ग तक लगभग 250 मी0 सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शर्मिला जौहरी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत ग्राम सभा सरायविक्रम में 30 वर्ष पूर्व बनी सरकारी मण्डी को संचालित करने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड मुरली छपरा अन्तर्गत बी0एस0टी0 बन्धा से ग्राम रामपुर कोड़रहा होकर बार्डर तक जाने वाले मार्ग स्थित पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रशेखर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या के विकास खण्ड रूदौली के अन्तर्गत ग्राम मरोचा सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर में मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नहर के किनारे स्थित बभनी सौरहा मार्ग पर साइफन के स्थान पर पुलिया का निर्माण एवं नहर की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अनुज मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र बबेरू के अन्तर्गत विकास खण्ड बबरे के गडरा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डी0के0 यादव व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री श्यामधनी राही, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के नगर निगम जोन-3 के अन्तर्गत जानकीपुरम तृतीय वार्ड के अन्तर्गत नहर रोड मुख्य मार्ग से सुन्दर विहार कॉलोनी स्थित याचीगण के मकान तक जाने वाले मार्ग पर सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिल्हौर के अन्तर्गत ककवन से बिल्हौर मार्ग का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्व0 डा0 गया प्रसाद कटियार के नाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कटियार उर्फ बबलू निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत ग्राम भटासा स्थित तालाब की सफाई कराये जाने एवं चीनी मिल से निकलने वाले अपशिष्ट की उचित व्यवस्था पर्यावरण विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री नफीस अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत शारदा नगर द्वितीय वार्ड के ए0बी0एस0 गगन विहार कालोनी, नियर लखनऊ पब्लिक स्कूल, एल्डिको उद्यान-2 के ए0बी0सी0 गगन विहार कॉलोनी के मुख्य गेट से गली नं0-5 की मोड़ से श्री संजीव कुमार राय के मकान तक डामरीकरण/सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड जालौन के ग्राम हरीपुरा में मिलन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय टिकरा जुगराज, गोसाईगंज में याची को शिक्षामित्र के पद पर बहाल किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई ।

श्री रामकृष्ण भार्गव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के कस्बा तपोवन नगर (चिल्लावॉ) निकट अमौसी मेट्रो स्टेशन कानपुर रोड से श्री राम करन पाठक के मकान तक आर0सी0सी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण पाठक व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के विकास खण्ड रेवती के ग्राम सभा बलेउर में स्थित जूनियर हाई स्कूल के पास खेल मैदान के चारों तरफ बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बबलू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम बिशनपुर से संतोष राइस मिल तक क्षतिग्रस्त मार्ग को सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर के नगर पंचायत औरंगाबाद व नगर पालिका अनूपशहर में राजस्व अधिकारियों व भू-माफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कालोनी व गैरकानूनी कब्जा की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली नगर पंचायत से अलादादपुर बाड़ी होते हुये सराय नदी तक पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत मण्डी परिषद आजमगढ़ के द्वारा बनायी गयी ग्राम चौकी में श्री लालजीत के घर से ग्राम सिकरौरा में उमा चौहान के घर तक मार्ग पर विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वेहिकल (EV) मैन्यूफैक्चरिंग हब तथा चार्जिंग स्टेशन के सम्बन्ध में श्री शशांक द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा ब्लाक मरौरी तहसील पीलीभीत-बिठौरा कला से जार कल्लिया तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मथुरा प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत कृषि रक्षा केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय भारद्वाज व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ सुल्तानपुर के अन्तर्गत धोपाप घाट पर बुनियादी सुविधाओं के विकास कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार अग्रहरि व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के त्रिलोकपुर चौराहे से सतनी हाडी-धनखपुर होते हुए भगवानपुर खादर तक अन्तर्गत जर्जर सड़क का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष द्वारा कार्य-सूची की मद सं0-38 पुकारे जाते ही नेता विरोधी दल ने कहा कि आज विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर चर्चा शुरू हो रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2022 से लेकर 2027 तक का विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया था, उसमें से कितना विजन को पूरा किया किया है, पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। उस पर चर्चा न करके सरकार वर्ष 2047 तक का विजन ले कर आयी है और विजन पर चर्चा के लिए रात-दिन मिलाकर 24 घण्टे का समय दिया गया है। वर्ष 2047 तक के लिए प्रस्तुत विजन डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण होने के नाते उन्होंने इस पर चर्चा के लिए समय बढ़ाने की पीठ से मांग की। इस पर श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' एवं डा0 संग्राम यादव ने बल दिया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विपक्ष के आरोपों का खण्डन किया गया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा के लिए कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था। उस समय चर्चा के लिए प्रस्तावित समय को बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए था। प्रस्तावित चर्चा के लिए जिन माननीय सदस्यों का नाम प्राप्त होगा, सबको बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के सम्बन्ध में नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं उस पर चर्चा आरम्भ किया :-

> ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिया है।
>
> मा0 प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर जहाँ भारत सरकार तेजी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है।
>
> भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा, जब राज्य विकसित होने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठायेंगे। विकसित भारत में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की भागीदारी एवं सहभागिता हो, इस दृष्टि से इसे आम चर्चा बनाना एवं सामान्य नागरिक को इस परिचर्चा से जोड़ना आवश्यक है।
>
> उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प को प्राप्त करने में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जोड़े जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इसका प्रारम्भ सदन में चर्चा के साथ किया जा रहा है। हम नीति आयोग, विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के दृष्टि-पत्र को मूर्तरूप देंगे, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक कार्य योजना की तरह प्रदेश का मार्गदर्शन करेगा।''

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल) को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गयी।

साथ ही श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा चर्चा में बहुत सकारात्मक पार्टिसिपेशन के लिए कहे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा सदन को सूचित किया गया कि मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से सभी सदस्यों के लिए आज से लेकर कल दोपहर तक के भोजन, चाय व शाम को नाश्ते की व्यवस्था की गयी है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा

प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनवरत चर्चा हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा सत्ता पक्ष से 02 तथा विपक्ष से 01 सदस्य के क्रम से चर्चा में प्रतिभाग के लिए व्यवस्था दी गयी।

जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह) ने भी चर्चा में भाग लिया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 मंत्रीगण और दलीय नेताओं के लिए 10 मिनट तथा अन्य सदस्यों के लिए 05 से 07 मिनट का समय निर्धारित किया गया।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री शिवपाल सिंह यादव,

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक),

श्री उमाशंकर सिंह के भाषण के मध्य अपराह्न 01 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री ए0के0 शर्मा),

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना',

श्री ओम प्रकाश सिंह,

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल) के भाषण के मध्य अपराह्न 02:00 बजे अधिष्ठाता श्री जय प्रताप सिंह पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बेबी रानी मौर्य)

श्री संग्राम सिंह यादव,

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के भाषण के मध्य अपराह्न 02 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता श्री महबूब अली पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री पंकज सिंह,

श्री इन्द्रजीत सरोज,

श्री धीरेन्द्र सिंह,

श्री बम्बा लाल,

श्री इकबाल महमूद के भाषण के मध्य अपराह्न 03 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री राजीव गुम्बर,

श्री भूपेश चौबे,

श्री अमिताभ बाजपेई,

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी,

श्री मनोज कुमार पाण्डेय के भाषण के मध्य सायं 04 बजकर 08 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री दुर्गा प्रसाद यादव,

श्रीमती नीलिमा कटियार,

श्री अशरफ अली खान,

श्री महबूब अली,

श्री संजय कुमार शर्मा,

पंचायती राज मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर),

श्री राम अचल राजभर के भाषण के मध्य सायं 05 बजकर 07 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुई।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती ओममणि वर्मा,

मत्स्य मंत्री (डा0 संजय निषाद) के भाषण के मध्य प्रयुक्त कतिपय शब्दों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। घोर व्यवधान के मध्य श्री अधिष्ठाता ने सदन के वेल में उपस्थिति सदस्यों से अपने आसन पर वापस जा कर अपनी बात कहने का अनुरोध किया। इस पर नेता विरोधी दल ने कहा कि बिना साक्ष्य के आरोप नहीं लगाना चाहिए।

इस बात को कार्यवाही से निकलवाने की बात कहे जाने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि श्री संजय निषाद के बोलने के मध्य विपक्ष की तरफ से टोका-टाकी शुरू हो जाती है। कार्यवाही दिखवा कर जो असंसदीय हो, उसे निकलवा दिया जाय।

इस पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि आपस में बात न की जाए। पीठ की तरफ देखकर अपनी बात कहें। श्री अध्यक्ष जी अभी पीठासीन होंगे, तो इसको दिखवा कर अनुचित को निकलवा देंगे।

इस पर श्री कमाल अख्तर ने कहा कि मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष की तरफ से टोका-टाकी हो रही थी, लेकिन यह कार्यवाही में देखा जा सकता है कि मा0 मंत्री जी अपने पूरे भाषण में लगातार विपक्ष पर हमलावर रहें हैं। वरिष्ठ मंत्री के लिए बिना साक्ष्य के ऐसे आरोप लगाना शोभा नहीं देता।

तदुपरान्त मत्स्य मंत्री द्वारा पुनः अपनी बात कहने पर नेता विरोधी दल ने कहा कि मा0 मंत्री जी विजन डॉक्यूमेंट पर अपनी बात कहने की बजाए विषय को आगे बढ़कर संघर्ष की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर श्री अधिष्ठाता द्वारा मा0 मत्स्य मंत्री को बैठने के लिए कहते हुए श्री शाहिद मंजूर को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया।

इसी मध्य कतिपय सदस्य द्वारा मत्स्य मंत्री के हाथ से पेपर छीनने की बात कहे जाने पर अधिष्ठाता ने ऐसा न करने का निर्देश दिया गया।

इस मध्य 05 बजकर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 मंत्री जी आपका समय पूरा हो गया है। एक मंत्री के लिए यह शोभा नहीं देता कि उन्हें बार-बार बोला जाय। श्री अध्यक्ष ने मत्स्य मंत्री को अपना शेष भाषण लिखित रूप में देने के लिए कहा।

श्री शाहिद मंजूर ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया।

श्री वाचस्पति के भाषण के मध्य सायं 05 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप)

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य),

श्री रविदास मेहरोत्रा,

श्री राम नरेश अग्निहोत्री,

श्री स्वामी ओउ्मवेश के भाषण के मध्य सायं 07:00 बजे अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर),

श्रीमती अंजुला माहौर,

श्री तुफानी सरोज,

श्री महेन्द्र पाल सिंह,

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण),

श्री आलमबदी के भाषण के मध्य सायं 07 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री लक्ष्मी राज सिंह,

श्री सरवन कुमार निषाद,

डॉ0 रागिनी के भाषण के मध्य प्रयुक्त कतिपय शब्दों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि वक्तव्य को सुनकर बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथी सनातन विरोधी हैं। इस पर नेता विरोधी दल ने आरोप का प्रतिकार करते हुए कहा कि सनातन की व्याख्या करना आपका काम नहीं है।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है। कोई ऐसी बात होगी तो उसे दिखाकर हटवा दिया जाएगा।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री नितिन अग्रवाल),

डॉ0 पल्लवी पटेल,

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी के भाषण के मध्य रात्रि 08 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सिद्धार्थनाथ सिंह पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रदीप शुक्ला,

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,

सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम मंत्री (श्री राकेश सचान),

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)

तदुपरान्त श्री अधिष्ठाता ने कहा कि निर्देश के बावजूद भी कतिपय सदस्य अपने भाषण के लिए निर्धारित समय-सीमा से आगे निकल रहे हैं, जो उचित नहीं है। वक्तागण की सूची लम्बी है। उन्होंने मा0 सदस्यगण व मा0 मंत्रिगण के लिए क्रमशः 05 व 7.5 मिनट का समय निर्धारित करते हुए अनुरोध किया कि सभी वक्ता अपनी निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखें।

निम्नलिखित सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री वीरेन्द्र चौधरी,

श्री बेदी,

डॉ0 विमलेश पासवान,

श्री जियाउद्दीन रिजवी,

श्री जय कुमार सिंह जैकी,

श्रीमती मीनाक्षी सिंह के भाषण के मध्य रात्रि 10 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री रफीक अंसारी,

खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री सतीश चन्द्र शर्मा),

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सुनील कुमार शर्मा),

श्री मोहम्मद हसन रूमी के भाषण के मध्य रात्रि 10 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय),

श्री अभय सिंह,

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी,

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा,

श्रीमती सैय्यदा खातून,

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (श्री कपिल देव अग्रवाल),

श्रीमती सरोज कुरील,

डॉ0 वीरेन्द्र यादव,

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश) के भाषण के मध्य 11 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनोज कुमार पाण्डेय पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री विनोद चतुर्वेदी,

श्री आशु मलिक,

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संदीप सिंह),

श्री राजेश त्रिपाठी,

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया के भाषण के मध्य 12 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री तेज प्रताप सिंह,

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह),

श्री अशोक कुमार,

श्री अताउर रहमान,

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र),

श्रीमती अनुपमा जायसवाल,

श्रीमती इन्द्राणी देवी,

श्री बावन सिंह,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अनिल कुमार),

श्री रामअवतार सिंह,

श्री मुकेश चौधरी,

श्री पूरन प्रकाश,

श्री तसलीम अहमद,

श्री सौरभ श्रीवास्तव,

श्री विवेकानन्द पाण्डेय,

श्री मनोज कुमार पारस,

श्री मेघश्याम,

श्री समरपाल सिंह के भाषण के मध्य रात्रि 02:00 बजे अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री धर्मेश सिंह तोमर,

श्री किरत सिंह,

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल,

श्री प्रदीप कुमार यादव,

श्री तेजपाल सिंह नागर,

श्री वेद प्रकाश गुप्ता,

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,

श्री देवेन्द्र कुमार निम,

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह,

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई,

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल कुमार),

डॉ0 राजेश्वर सिंह,

श्री संदीप सिंह,

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द,

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी,

डा0 आर0के0 वर्मा,

श्री राजीव सिंह पारीछा,

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी,

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल के भाषण के मध्य प्रातः 04:00 बजे अधिष्ठाता श्री जय प्रताप सिंह पीठासीन हुए।

श्री देवेन्द्र सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया।

तदुपरान्त श्रीमती पूजा पाल का नाम पुकारे जाते ही श्री कमाल अख्तर ने दी गयी सूची के अनुसार नाम बुलाने के लिए कहे जाने पर श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा टोका-टाकी की गयी। इस पर कमाल अख्तर ने कहा कि किसी के बोलने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि आपका कोटा अपनी जगह पर है। व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती पूजा पाल,

श्री बेचई सरोज,

श्री रामवीर सिंह,

श्री पल्टूराम,

श्री पंकज पटेल के भाषण के मध्य प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यह गलत है। इस पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि इसको दिखवा लिया जाएगा। मा0 मुख्य मंत्री जी को किसी जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

श्री रामफेरन पाण्डेय,

श्रीमती केतकी सिंह,

श्री जै किशन साहू,

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरीश चन्द्र यादव),

श्री ऋषि त्रिपाठी,

श्री जय प्रकाश अंचल,

श्री बाबू राम,

श्री नागेन्द्र सिंह राठौर,

श्री संग्राम सिंह,

श्री राजीव तरारा,

श्री वीर विक्रम सिंह के भाषण के मध्य प्रातः 06:00 बजे अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पुनः पीठासीन हुईं।

श्री जाहीद ने भी चर्चा में भाग लिया।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने प्रश्नगत चर्चा हेतु मा0 सदस्यगण के लिए 04 मिनट तथा मा0 मंत्रियों के लिए 05 मिनट का समय निर्धारित करने का पीठ से अनुरोध किया।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रदीप कुमार चौधरी,

श्री चेतराम,

श्री अनिल प्रधान,

कृषि, कृषि शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बल्देव सिंह औलख),

डा0 अमित सिंह चौहान,

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी,

डा0 अवधेश सिंह,

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह),

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू,

श्री प्रसन्न कुमार,

श्रीमती सलोना कुशवाहा,

श्री हाकिम लाल बिन्द,

डा0 रश्मि आर्या,

श्री जय प्रकाश निषाद,

श्री अनिल कुमार वर्मा,

श्रीमती मंजू त्यागी,

श्री अंकुर तिवारी,

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या,

श्री राज प्रसाद उपाध्याय,

श्री नफीस अहमद,

श्री गणेश चन्द के भाषण के मध्य प्रातः 08 बजकर 06 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पुनः पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री सुरेन्द्र मैथानी,

श्री गौरव कुमार,

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल मलिक),

श्री हरिओम।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्ताओं की लम्बी सूची के दृष्टिगत प्रश्नगत चर्चा हेतु मा0 सदस्यगण के लिए 04 मिनट तथा मा0 मंत्रियों के लिए 05 मिनट का समय निर्धारित करने का पीठ से पुनः अनुरोध किया गया।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री राममूर्ति वर्मा,

श्री दिनेश रावत,

श्री राम निवास वर्मा,

श्री मोहम्मद नासिर कुरैशी,

श्री जवाहर लाल राजपूत,

श्री पीयूष रंजन निषाद,

श्री उमर अली खान,

स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रविन्द्र जायसवाल),

श्री सुरेन्द्र चौरसिया,

श्री सुहैब उर्फ मन्नु अन्सारी,

श्री जीत लाल पटेल।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्ताओं की लम्बी सूची के दृष्टिगत प्रश्नगत चर्चा हेतु मा0 सदस्यगण के लिए 02-02 मिनट का समय निर्धारित करने का पीठ से अनुरोध किये जाने पर श्री अधिष्ठाता ने सहमति व्यक्त की।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री राम रतन कुशवाहा,

श्री सभा कुँवर,

श्री अखिलेश,

श्री नाहिद हसन,

श्रीमती मनीषा,

श्रीमती अर्चना पाण्डेय,

श्री विनोद सरोज,

श्री त्रिभुवन दत्त,

श्रीमती कृष्णा पासवान,

श्रीमती सरिता भदौरिया,

श्री मौहम्मद फईम इरफान,

श्री शशांक त्रिवेदी,

श्री पूनम संखवार।

तदुपरान्त श्री अमिताभ बाजपेई अपने क्षेत्र की बात कहने का प्रयास करने पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि चर्चा के बाद बात कर लीजिएगा।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री कमाल अख्तर,

श्री विनोद शंकर अवस्थी,

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति,

श्री अतुल प्रधान,

श्री राकेश प्रताप सिंह के भाषण के मध्य पूर्वाहन 10 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री रघुराज प्रताप सिंह,

श्री पंकज कुमार मलिक,

कृषि, कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही),

नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय) तथा

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया कि मा0 सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले लिखित भाषण को कार्यवाही का भाग बना लिया जाय। जिस पर श्री अध्यक्ष ने स्वीकृति प्रदान की।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्यों से दिनाँक 14-08-2025 की अपनी उपस्थिति दर्ज करने की बात कहे जाने पर सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि डिवाइस पर आज की उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि दिनांक 13-08-2025 की उपस्थिति को ही 14-08-2025 के लिए मान लिया जाएगा। तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मा0 सदस्यों के लिए चिप युक्त 02-02 पास वितरित किये जा रहे हैं, मा0 सदस्य पटल कार्यालय से प्राप्त कर लें। साथ ही मा0 सदस्यगण के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गयी कि जो मा0 सदस्य स्वतंत्रा दिवस पर अवसर पर विधान सभा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं, अपना नाम पटल कार्यालय में नोट करा दें, ताकि उनके लिए पास आदि निर्गत कराये जा सकें।

श्री अध्यक्ष ने सदन के पटल पर आज पुरःस्थापित विधेयकों का पारण आज ही कराए जाने की बात सर्वसम्मति से कही।

संसदीय कार्य मंत्री ने ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025'' को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025'' को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।

तदुपरान्त कोई संशोधन प्राप्त न होने के कारण मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-11 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

''उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।

वित्त मंत्री द्वारा विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किये गये।

तदुपरान्त कोई संशोधन प्राप्त न होने के कारण मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

''उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

''उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।

मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-19 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

''उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसी मध्य उक्त विधेयक पर अपने विचार साझा न करने देने की बात कहते हुए समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

''उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025'' पर विचार किया जाय।

मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से 3 तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने।

''उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025'' पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के सफल संचालन हेतु श्री अध्यक्ष एवं मा0 सदस्यगण के प्रति आभार प्रकट करते हुए प्रस्ताव किया कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अगले दिन (14 अगस्त, 2025) को अपराह्न 02 बजकर 34 मिनट पर राष्ट्रगान ''जन गण मन......।'' के सामूहिक गान के उपरान्त अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 67 विधान सभा (113)-27-08-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।